राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 39, 40, 41 एवं 42/2017 .....जिला.....जयपुर.....

मैसर्स नेशनल इंजिनियरिंग इण्ड. लि., जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन सर्किल–1, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/1/2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री पारस पाटनी एवं विभाग की ओर से श्री आर.के. अजमेरा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। यह चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 18, 25, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। चारों अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अधिनियम की धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।	

अपील सं.	अवधि	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित शास्ति राशि	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा गया
1	2	3	4	5
39/2017	13–14	1,77,04,865	1,07,62,684	69,42,181
40/2017	14–15	2,05,79,808	1,29,83,834	75,95,974
41/2017	15–16	2,23,50,206	1,46,55,862	76,94,344
42/2017	16–17	85,43,889	56,02,204	29,41,685

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2017 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की गई एवं शेष राशियों को स्थगित नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह चारों अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी हैं।

चारों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय कि प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक से रखी जा रही है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। अतः मांग राशियों के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों (उपरोक्त तालिकानुसार कॉलम संख्या 5) की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी ।

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 39, 40, 41 एवं 42/2017 .....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/1/2017	विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 36 के अंतर्गत जारी विनिश्चय दिनांक 15.09.2015 का अध्ययन किया गया। इस विनिश्चिय में अभिनिर्धारित किया गया है कि "भारत सरकार के बाहर से आयातित माल पर कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने के लिये काम में आयी Duty credit scrip पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 18(1)(a to g) के तहत आगत कर (Input Tax Credit) का लाभ देय नहीं होगा।" अतः प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते हैं। चारों अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। 23/1/2012 (के.एल.जैन) सदस्य 23.1.2017 (मदन लाल) सदस्य	